न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/6732/2006/जयपुर

1- श्रीमति मनभरी धर्मपत्नि भींवाराम

2- श्रीमति मालीदेवी धर्मपत्नि सीताराम

3- भीवा पुत्र बिरदु

4- श्रीमति कमली धर्मपत्नि गोपाल

5- गोपाल पुत्र रामनाथ

जाति रैगर निवासी ग्राम सुरेठी, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2- जगदीश नारायण पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राहम्ण, निवासी गोपालगढ़ हाल निवासी ग्राम सुरेठी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
3- श्रीमति शांति देवी धर्मपत्नि रतनलाल जाति रैगर, हाल निवासी जोडला पावर हाउस के पास, अनोखा गांव के पास, सीकर रोड़, जयपुर।
4- रतनलाल पुत्र पेमाराम ,, ,, ,,
(प्रत्यथीगण सं0 2 से 4 के नाम राज्रस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा तर्क किए गए।)

....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः-
श्री गुलाबचंद राठैड़, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता।

-

निर्णय

दिनांकः 26-04-19

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील सं0 100/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 06-07-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 ने अतिरिक्त कलक्टर, कोटपूतली के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) का प्रा0 पत्र पेश कर कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी जगदीश नारायण प्रत्यर्थी सं0 2 को आराजी खसरा सं0 2/100 रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 31-05-64 को विधि विरूद्ध तरीके से आवंटित की, जिसके संबंध में बेरी आयोग द्वारा जांच करने पर केस नं0 जी.9/1980 के निर्णय में भूमि का आवंटन अनियमित पाया गया। अतः आवंटन खारिज किया जावें। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को तलब किया गया किन्तु विपक्षी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 22-05-2002 द्वारा विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर वर्तमान अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के प्रा0 पत्र के साथ पेश की व अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किए जाने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 06-07-2006 द्वारा प्रथम अपील को अन्दर मियाद शुमार किया तथा 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थीगण को हितबद्ध पक्षकार मानते हुए प्रथम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को

निरस्त कर प्रकरण निर्देशानुसार पुनः विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

3- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि विचारण न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरपंच पद पर रहते हुए उन्होंने अपने पद का किसी प्रकार दुरूपयोग किया तथा सरपंच का पुत्र किस प्रकार भूमिहीन नहीं तथा सद्भावी कृषक नहीं है तथा आवंटी भूमिहीन नहीं है तो उसके पास पहले से कितनी भूमि है एवं उसकी आजीविका का साधन क्या है, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवंटी भूमिहीन नहीं था अथवा भूमिहीन होने की श्रेणी में नहीं आता था तथा सद्भावी कृषक नहीं था। जब अधीनस्थ अपील न्यायालय ने उपरोक्त त्रुटि विचारण न्यायालय के निर्णय में मानी तो उन्हें प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित नहीं कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था, क्योंकि उनके समक्ष पत्रावली पर समस्त अभिलेख उपलब्ध था। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब पत्रावली पर समस्त तथ्य मौजूद है तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित नहीं करना चाहिए तथा प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए। उनका यह भी तर्क था कि 36 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् खातेदारी अधिकारों को तकनीकी आधारों पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने खातेदार से भूमि का क्रय किया है व उस दिन से वे भूमि पर काबिज काश्त है तथा काफी धन खर्च कर व मेहनत कर भूमि को काश्त हेतु उपयोगी बनाया है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि प्रथम अपील न्यायालय ने प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि की है, अतः

द्वितीय अपील को स्वीकार कर प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें तथा प्रथम अपील को पूर्णरूप से स्वीकार किए जाने के आदेश दिए जावें।

5- योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रटि नहीं है, अतः द्वितीय अपील को निरस्त किया जावें।

6- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7- विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22-05-2002 में माना कि आवंटी के पिता बरवक्त आवंटन सरपंच थे व भूमि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य थे, इस कारण अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने पुत्र के हक में खसरा नं0 2/100 रकबा 15 बीघा भूमि का आवंटन करवाया। उक्त भूमि आवंटन आदेश अनियमित होना बखूबी साबित है। उन्होंने यह भी अंकित किया कि आवंटन के समय आवंटी सद्‌भावी भूमिहीन नहीं था व न ही आवंटन का पात्र था।

8- प्रथम अपील न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि आवंटी के पिता ने सरपंच के पद का किस प्रकार दुरूपयोग किया व उसका पुत्र किस प्रकार भूमिहीन व सद्‌भावी कृषक नहीं है तथा आवंटी अगर भूमिहीन नहीं है तो उसके पास पूर्व से कितनी भूमि है तथा उसकी आजीविका का मुख्य आधार क्या है, इस संबंध में विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार का विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया है। उन्होंने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष भी अंकित किया कि विचारण न्यायालय ने हाल जमाबंदी में रेकार्डेड खातेदार काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाकर सुनवाई का

अवसर प्रदान नहीं किया है। उन्होंने अपने निर्णय में यह भी माना कि आवंटी द्वारा किन शर्तो का उल्लंघन किया गया है, यह विचारण न्यायालय ने अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट है। हमारी राय में विचारण न्यायालय द्वारा जिन कथनों को निर्णय का आधार बनाया गया है, वे अस्पष्ट है तथा उन पर विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय ने आब्जरवेशन के साथ प्रकरण पुनः निर्णित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें हम द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

9- उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-07-2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य